प्रेस नोट दिनांक 24.11.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

रिवाल्वर व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

-आपरेशन नशा मुक्ति अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों की चेकिंग के दौरान थाना बाघराय पुलिस की बड़ी कार्यवाही
- व0उ0नि0 जिलेदार पाल द्वारा 01 रिवाल्वर .32 बोर व 06 जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार
-रिवाल्वर व कारतूस बरामदगी के संबंध में अभियोग दर्ज

प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी संजय राय के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी सदर अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना बाघराय पुलिस निरन्तर क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों तथा आपरेशन नशा मुक्ति के तहत सार्वजनिक स्थानों पर नशा कर रहे नशेबाजों की चेकिंग की जा रही है ।

इसी क्रम में दिनांक 24.11.2024 को थाना बाघराय के व0उ0नि0 जिलेदार पाल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान कस्बा मंडल भाषो में शराब ठेके के पास शराब पी रहे एक व्यक्ति को 01 रिवाल्वर .32 बोर व 06 जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त कुलदीप सिंह द्वारा बताया गया कि यह बरामद लाइसेन्सी रिवाल्वर मेरे भाई आशीष सिंह पुत्र स्व0 अमरेश बहादुर सिंह निवासी उपरोक्त का है। जिसे लेकर मैं चलता हूँ और इसका लाइसेन्स मेरा पास नहीं है।

उक्त बरामद शस्त्र गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल करने के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 373/24 धारा 3/25 व 30 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –
1-कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 अमरेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम चौहान का पुरवा, भीखापुर कानीडीह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी -01 रिवाल्वर .32 बोर व 06 जिन्दा कारतूस .32 बोर

पुलिस टीम- व0उ0नि0 जिलेदार पाल मय हमराह प्रशि0उ0नि0 विकास प्रधान, का0 अमरजीत, का0 गौरव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़: ऑटो चालक से लूटपाट के बाद हत्या, दो अभियुक्त गिरफ्तार

लूटपाट के बाद पेंचकस से हमला कर ऑटो चालक की हुई थी निर्मम हत्या

पुलिस ने 11 दिन में किया हत्याकांड का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

मृतक का मोबाइल, पेंचकस और लूटे गए रुपये अभियुक्तों से बरामद

लूट के विरोध पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने अपराध कबूल किया

मोटरसाइकिल से पीछा कर सुनसान इलाके में दिया वारदात को अंजाम

प्रतापगढ़:-

प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना में ऑटो चालक रवि यादव की लूटपाट के दौरान पेंचकस से हमला कर हत्या कर दी गई। यह घटना 12 नवंबर 2024 की रात जुबैर के भट्ठे के पास हुई, जब आरोपियों ने लूट की नीयत से ऑटो को रोककर चालक से मोबाइल और पर्स छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी सचिन सरोज ने ऑटो में रखे पेंचकस से रवि यादव पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जांच और खुलासे के लिये पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने स्वाट और थाना हथिगंवा पुलिस को लगाया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की और मुखबिर की सूचना पर 23 नवंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पेंचकस और लूटे गए 3000 में से बचे 1700 रुपये बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि हत्या के बाद लूटे गए सामान को आपस में बांटा गया था।

पुलिस टीमों ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटनाक्रम के बारे में बताया कि आरोपी सुदीप यादव (20) और सचिन सरोज (22) ने घटना के पहले हड़ाहरा खेला और फिर महाराजा ढाबा पर खाना खाने का प्लान बनाया। ढाबे जाते समय रास्ते में ऑटो को देखकर उन्होंने उसे सूनसान इलाके में रोक लिया। ऑटो चालक से लूट के दौरान मोबाइल और पर्स छीना गया, जिसमें 3000 रुपये और आधार कार्ड था। विरोध करने पर सचिन ने पेंचकस से हमला किया और फिर दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए।

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (UP72BQ 8052) भी बरामद की। सुदीप यादव के पास मृतक का मोबाइल, जिसमें उसका सिम नंबर 8874008614 डाला गया था, मिला। वहीं, सचिन सरोज के घर से लूट का पर्स और रुपये बरामद हुए। घटना के बाद पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें बाद में हत्या और लूट की अन्य धाराएं भी जोड़ी गईं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सुदीप यादव पुत्र शंकर लाल यादव निवासी ग्राम कटेहरा विश्वनाथसिंह का पुरवा बेधनगोपालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

02. सचिन सरोज पुत्र शिवलाल सरोज निवासीग्राम कटेहरा विश्वनाथसिंह का पुरवा बेधनगोपालपुर थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में-

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ स प्रभारी निरीक्षक नन्दलाल सिंह, उ0नि0 राधेश्याम सिंह,उ0नि0 राहुल कुमार,का0 कुलदीप सिंह,का0 अनिल यादव प्रथम,का0 अजीत सिंह यादव,म0का0 पूजा

स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़ से हे0का0 धनन्जय राय,हे0का0 मोहित यादव,का0 अरविन्द दुबे,

का0 श्रीराम सिंह,का0 आशुतोष पाण्डेय,का0 संजय सिंह,सर्विलांस टीम जनपद प्रतापगढ़, हे0का0 पंकज दुबे, का0 सनोज कुमार शामिल रहे।

थाना जेठवारा

एसटीएफ प्रयागराज यूनिट द्वारा थाना जेठवारा पुलिस के सहयोग से 50 हजार रूपये का इनामिया व गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

50 हजार रूपये का इनामिया गैगंस्टर गिरफ्तार
अनमोल होटल, फातिमानगर थाना शांतिनगर, मुम्बई से गैंगस्टर आजम खान उर्फ आदम पुत्र निजाम नि0 फसियालगढ़ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ गिरफ्तार
गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, रेन्ज प्रयागराज द्वारा घोषित किया गया था 50 हजार रूपये का इनाम

प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 411/19 धारा 2/3 उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 50,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी **आजम खान उर्फ आदम पुत्र निजाम नि0 फसियालगढ़ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़** को इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दिनांक 21.11.2024 को एसटीएफ प्रयागराज यूनिट द्वारा थाना जेठवारा पुलिस के सहयोग से अनमोल होटल, फातिमानगर थाना शांतिनगर, मुम्बई से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –
1- आजम खान उर्फ आदम पुत्र निजाम नि0 फसियालगढ़ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास –

आदम उर्फ आजम पुत्र निजाम निवासी फसियालगढ़ भावनपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु०अ०सं० 271/2019 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0 272/2019 धारा 5/8/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

3- मु०अ०सं० 275/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

4- मु०अ०सं० 411/2019 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़। (वांछित) विवेचना थाना महेशगंज प्रतापगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

5- मु०अ०सं० 181/2022 धारा 174ए भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम-
उ0नि0 विनय तिवारी, हे0का0 अश्वनी कुमार सिंह, हे0का0 पंकज तिवारी, का0 किशनचन्द्र, आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई प्रयागराज।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
हत्या का प्रयास, मार-पीट, गाली- गलौज करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना महेशगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रा० विद्यालय बाबा का पुरवा रायगढ़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री उ0नि0 मुकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह कां0 वीरपाल, कां0 सुनील कुमार व का० अश्वनी खरवार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0129/24 धारा-147, 148, 149, 307, 325, 504 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 228/2024 धारा- 191(2), 191(3), 190, 109, 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त शिवशंकर यादव पुत्र स्व0 रामपदारथ यादव निवासी बाबा का पुरवा रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र महेशगंज के प्रा० विद्यालय बाबा का पुरवा रायगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शिवशंकर यादव पुत्र स्व0 रामपदारथ यादव निवासी बाबा का पुरवा रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय हमराह कां0 वीरपाल, कां0 सुनील कुमार व का० अश्वनी खरवार थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
हत्या का प्रयास, मार-पीट, गाली- गलौज करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना जेठवारा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मुर्गी फार्म ग्राम रामचन्द्रपुर के पास से 02 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 23.11.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर हत्या का प्रयास, मार-पीट, गाली- गलौज के प्रकरण में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 282/24 धारा 115(2), 352, 109, 110 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत बनाम 02 अभियुक्तगण के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना जेठवारा के थाना श्री धर्मेन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 आशीष पटैरिया, प्रशि० उ0नि0 आकांक्षा वर्मा, उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय, म0का0 छाया, ,म0का0 प्रीति द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 282/24 धारा 115(2), 352, 109, 110 बीएनएस से संबंधित वांछित 02 अभियुक्ता व 02 अभियुक्त 01. शिव प्रसाद पुत्र स्व0 राम किशोर, 02. नीरज पुत्र शिवप्रसाद निवासीगण रामचन्द्रपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र जेठवारा के मुर्गी फार्म ग्राम रामचन्द्रपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. शिव प्रसाद पुत्र स्व0 राम किशोर निवासी ग्राम रामचन्द्रपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।
02. नीरज पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम रामचन्द्रपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।
03. 02 अभियुक्ता।

पुलिस टीम-
उ0नि0 आशीष पटैरिया, प्रशि० उ0नि0 आकांक्षा वर्मा, उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय, म0का0 छाया, ,म0का0 प्रीति थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
आरोपी द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को होशियारपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 10.02.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में अन्तर्गत धारा 363, 366, 504, 506, 120बी भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर मय हमराह का० पंकज यादव द्वारा तलाश देखभाल क्षेत्र/ वांछित, वारण्टी चेकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग संबंधित अभियुक्त सुभाष पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को दिनांक 24.11.2024 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत होशियारपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सुभाष को अन्तर्गत धारा 363, 366, 504, 506, 120बी भा0द0वि0 व बढोत्तरी धारा 376(1) भा0द0वि0, 5J (II)/6 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सुभाष पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी रतनमई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 लक्ष्मीकान्त सिंह सेंगर मय हमराह का० पंकज यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.11.2024 जनपद प्रतापगढ़।
आपराधिक कृत्यों के आधार पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा कराया गया कुल 16 शस्त्रों का निरस्तीकरण

कोतवाली देहात से 03, कोहंडौर से 01, अन्तू से 02, फतनपुर से 03, हथिगवां से 01, कुण्डा से 02, लीलापुर से 01, लालगंज से 02, संग्रामगढ़ से 01

एसपी प्रतापगढ़ की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री संजीव रंजन की कठोर कार्यवाही
एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व एएसपी(पूर्वी/पश्चिमी) के पयवेक्षण में प्रतापगढ़ पुलिस आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों पर लगातर कस रही नकेल

प्रतापगढ़।
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर पंजीकृत अभियोग की समीक्षा कर उनके पास मौजूद लाइसेंसी शस्त्र का निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी/पश्चिमी) के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना कोतवाली देहात, कोहडौर, अन्तू, फतनपुर, हथिगवां, कुण्डा, लीलापुर, लालगंज व थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित किया गया तथा ऐसे व्यक्तियों के पास मौजूद लाइसेंसी शस्त्र का निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार श्रीमान् जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित किया गया। जिसपर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री संजीव रंजन द्वारा कठोर कार्यवाही करते हुए कुल 16 शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई।

नाम पता शस्त्र धारक –

1-सुभाष चन्द्र पाण्डेय पुत्र कृपाशंकर पाण्डेय नि0 पूरे चकई थाना को0देहात प्रतापगढ़ (डीबीबीएल गन 12 बोर)
2-रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामलखन नि0 ग्राम पूरे बेदुआ थाना को0देहात प्रतापगढ़ (रिवाल्वर/पिस्टल)
3-रामेश्वर प्रसाद पुत्र रामलखन नि0 ग्राम पूरे बेदुआ थाना को0देहात प्रतापगढ़ (एनपीबोर रायफल)
4-चन्द्रभूषण सिंह पुत्र स्व0 श्रीराम पाल नि0 सरायशंकर थाना कोहड़ौर प्रतापगढ़ (एसबीबीएल गन 12 बोर)
5-मकसूद अहमद पुत्र मुख्तार अहमद नि0 ग्राम जैतीपुर कठार थाना अन्तू प्रतापगढ़ (रिवाल्वर/पिस्टल)
6-सुभाष चन्द्र पाण्डेय पुत्र रमेश चन्द्र पाण्डेय नि0 पूरबगॉव किठावर थाना अन्तू प्रतापगढ़ (रिवाल्वर/पिस्टल)
7-मानिकचन्द्र पटेल पुत्र श्यामलाल पटेल नि0 कनेवरा थाना फतनपुर प्रतापगढ़ (एसबीबीएल गन 12 बोर)
8-सुरेन्द्र प्रताप तिवारी पुत्र गंगाराम तिवारी नि0 ग्राम जगतपुर कैलीडीह थाना फतनपुर प्रतापगढ़ (एमपीबोर रिवाल्वर/पिस्टल)
9-महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह नि0 कतरौली थाना फतनपुर प्रतापगढ़ (डीबीबीएल गन 12 बोर)
10-सैयद जफर अली पुत्र खुर्शीद अली नि0 ग्राम रसूलपुर निन्दूरा थाना हथिगवा प्रतापगढ़ (एसबीबीएल गन 12 बोर)
11-जगदेव प्रसाद पटेल पुत्र माता प्रसाद नि0 वजीरपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ (एसबीबीएल गन 12 बोर)
12-सैयद मो0 तुफैल पुत्र कयामुद्दीन नि0 कत्तानगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़(एमपीबोर रिवाल्वर/पिस्टल)
13-राजेश्वर मिश्रा उर्फ सुनील मिश्र पुत्र उपेन्द्र नाथ मिश्र नि0 पतुलकी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़(एनपीबोर रायफल)
14-भोला नाथ तिवारी पुत्र रामेश्वरी तिवारी नि0 पूरे बहीरामपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़(एसबीबीएल गन 12 बोर)
15-त्रिभुवन प्रसाद तिवारी पुत्र राम नरेश तिवारी नि0 रामगढ खास थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़(एसबीबीएल गन 12 बोर)
16-मो0 जहीर पुत्र मो0 हनीफ नि0 लतीफपुर थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ़(डीबीबीएल गन 12 बोर)

बयान - आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त व्यक्तियों/आरोपियों को चिन्हित कर उनके लाइसेंसी शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पुलिस आप सभी शस्त्र धारकों से अनुरोध करती है कि लाइसेंसी शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए जारी किया गया है। लाइसेंसी शस्त्र का दुरूपयोग करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर आपको कड़ी वैधानिक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।